

प्रपत्र-1
कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र
भाग-क
(विद्यार्थी/ अभिभावक द्वारा भरा जायेगा)

1. छात्र/छात्रा का नाम व पता :
2. पिता/अभिभावक का नाम :
3. 1. वर्तमान विद्यालय का नाम व पता : 2. कक्षा :
4. निवास स्थान का पता :
5. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी : किमी मीटर
कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किमी से अधिक पर एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किमी से अधिक होने पर निम्न कारणों में से किसी एक कारण पर ✓ का निशान लगाएं :-
 - विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्ययनरत है।
 - विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने
भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है
 - विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है।
6. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :
SMC के माध्यम से सामूहिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था/ स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था।

(अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर)

(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)

(कार्यालय उपयोग हेतु)

भाग-ख

1. संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण
(पात्रता की शर्त 2.1 एवं 2.2 के अनुसार पात्र विद्यार्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है। छात्र / छात्रा कक्षा में अध्ययनरत है जिसका एस.आर. क्रमांक है। अतः उक्त छात्र/ छात्रा का आवेदन पत्र परिवहन भत्ता नियमानुसार दिया जाने की जांच एवं अनुशांषा हेतु SMC के समक्ष प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

मय सील